प्रेषक,

महानिदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा उपचार,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

पत्रांक : प्रशि0प्रको0 / जी0एन0एम0 / प्रशिक्षण / 2023 / 2171 लखनऊ : दिनांक 23 / 08 / 2023

विषय– सामान्य उपचारिका (जी0एन0एम0) प्रशिक्षण विनियमन अनुदेश 2022 के क्रम में सामान्य उपचारिका (जी0एन0एम0) प्रशिक्षण सत्र–2023 हेतु शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की अनन्तिम सूची के सम्बन्ध में संशोधित आवश्यक दिशा–निर्देश अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक महानिदेशालय के पृष्ठांकन पत्र संख्या–प्रशि0प्रको0 / जी0एन0एम0 / प्रशिक्षण / 2023 / 2153, दिनांक 22.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सामान्य उपचारिका (जी0एन0एम0) प्रशिक्षण सत्र–2023 हेतु शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की अनन्तिम सूची व दिशा निर्देश उपलब्ध कराते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त के क्रम में उपलब्ध कराये गये दिशा–निर्देशों में कतिपय बिन्दुओं में संशोधन करते हुए संशोधित आवश्यक दिशा–निर्देश अपलोड किया जाना है।

अतः संशोधित आवश्यक दिशा–निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि आज ही संशोधित दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट पर अपने स्तर से अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 बृजेश राठौर)
महानिदेशक, (प्रशिक्षण)
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

urgent Dr Shipra pandey 24/8/23

11(4) 5887
24-8-23

विभागीय बेवसाइट www.dgmhup.gov.in एवं पोर्टल पर सामान्य उपचारिका (जी0एन0एम0) प्रशिक्षण 2023 के लिए अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 22.08.2023 को निर्गत अनन्तिम सूची से सम्बन्धित संशोधित सूचना/दिशा–निर्देश।

- दिनांक 01.07.2023 से दिनांक 31.07.2023 तक सामान्य उपचारिका (जी0एन0एम0) प्रशिक्षण–2023 हेतु ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल पर आवेदन पत्र प्राप्त किये गए थे।
- प्राप्त हुए आवेदन पत्रों से आवेदनकर्ता की **हाईस्कूल के अंक प्रतिशत तथा इण्टरमीडिएट (10+2) के अंक प्रतिशत के योग के औसत प्रतिशत की मेरिट/आरक्षण श्रेणी/विभागीय या संविदा पर कार्यरत ए0एन0एम0 के 15 प्रतिशत/पुरूषों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर 1359 शार्टलिस्टिड अभ्यर्थियों की अनन्तिम सूची दिनांक 22.08.2023 को प्रकाशित की गयी है, जिसमें शार्टलिस्टिड अभ्यर्थियों के सम्मुख कॉलम में उनकी मेरिट, स्टेट मेरिट रैंक, मूल श्रेणी, प्रशिक्षण हेतु अभिलेखों के आधार पर लागू श्रेणी, क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी तथा विभागीय या संविदा पर कार्यरत ए0एन0एम0 का विवरण भी प्रदर्शित है।**
- उत्तर प्रदेश में विभागीय या संविदा पर कार्यरत ए0एन0एम0 हेतु 15 प्रतिशत व पुरूषों के लिए 10 प्रतिशत सीटों का आरक्षण है, शेष 75 प्रतिशत अन्य महिलाओं हेतु सीटें हैं।
- विभिन्न श्रेणियों हेतु मेरिट की न्यूनतम कट ऑफ का विवरण भी उपलब्ध है।
- 1359 शार्टलिस्टिड अभ्यर्थियों की अनन्तिम सूची में से 453 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण केन्द्रवार अंतिम सूची निर्गत की जायेगी, शेष 906 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची होगी।
- उपरोक्त के क्रम में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे सूची में प्रदर्शित अपने विवरण का अवलोकन कर लें। शार्टलिस्टिड अभ्यर्थियों तथा अन्य आवेदनकर्ताओं को यदि अनन्तिम सूची से सम्बंधित शंका/जिज्ञासा है तो पोर्टल पर अपनी जी0एन0एम0 पंजीकरण संख्या के माध्यम से लॉगिन कर अवगत करा सकते है। यह सुविधा पोर्टल पर दिनांक 27.08.2023 की सायं 05.00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। पोर्टल पर अंकित शंका/जिज्ञासाओं का संज्ञान लेते हुए नियमानुसार 453 अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण केंद्रवार अंतिम सूची जारी की जाएगी। उक्त निर्धारित समय के उपरांत इस विषय में आवेदनकर्ताओं का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- शार्टलिस्टिड दिव्यांग अभ्यर्थियों का विशेष चिकित्सा बोर्ड से लखनऊ में परीक्षण किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के समक्ष दिनांक 25.08.2023 से दिनांक 26.08.2023 तक शारीरिक परीक्षण कराया जाना है। दिव्यांग अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर अपना शारीरिक परीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगें। प्रवेश हेतु प्रशिक्षण केंन्द्र स्तर पर मूल अभिलेख सत्यापन के समय दिव्यांग अभ्यर्थियों को यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

23/8/2023

महानिदेशक, प्रशिक्षण
(चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।